कार्यालयः–वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल।
वन भवन–1, हजारीबाग, 825301 (झारखण्ड)
E-mail: dfo-hazaribagheast@gov.in; Telephone No. 06546-272461

पत्रांक 71 दिनांक 04/01/21

सेवा में,

महाप्रबंधक,
डेडिकेडेट फ्रेड कॉरिडोर, कॉरापोरेशन ऑफ इंडिया लि0,
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
10th Floor, Metro Rail Bhavan 33/1
J.L. Nehru Road, Kolkata

विषय :– **विशेष रेलवे लाईन निर्माण परियोजना** (DFCCIL) **अंतर्गत मौजा–सरियाखुर्द में 1.758 हे0 वन भूमि के अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– अपका पत्रांक KKK/EN/Forest/Sariakhurd/629/757 दिनांक 10.11.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना हेतु हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल के क्षेत्राधीन गिरिडीह जिलान्तर्गत सरिया प्रखण्ड के तहत डिडिकेटेड फ्रेड कॉरीडोर निर्माण में अपयोजित होने वाले वन भूमि का कुल रकबा 1.751 हे0 भूमि के अपयोजन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, प्राप्त प्रस्ताव के अवलोकन में निम्न कमियां/त्रुटियां परिलक्षित हुई हैः–

1. आपके द्वारा समर्पित प्रस्ताव में offline part-1, II, III, IV and V संलग्न है, जो आवश्यक नहीं है।
2. Cost Benefit Analysis संलग्न नहीं है।
3. प्रस्ताव के साथ Preparation of Geo-reference Boundary Map (in shape file) संलग्न नहीं है।
4. विषयगत प्रस्ताव में अपयोजित हाने वाली वन भूमि 1.7587 हे0 के दो गुणा अवकृष्ट वन 3.5174 हे0 वन भूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण हेतु पूर्व में चयनित स्थल ईरगा/चिरूआं मौजा का पुनः 4 हे0 का DGPS Map संलग्न नहीं है।
5. विषयगत प्रस्ताव में अपयोजित होने वाले वन भूमि का जंगल–झाड़ी भूमि के तहत उपायुक्त गिरिडीह द्वारा अनापति निर्गत किया गया है, जबकि प्रस्तावित स्थल सरिया खुर्द थाना संख्या 32 का प्लॉट संख्या 53 एवं 54 अधिसूचित वन भूमि है। जिसका अधिसूचना संख्या C.P.F-10152/ 52-5801-RD.27-12-52 है।

अतः विषयगत समर्पित प्रस्ताव मूल रूप में वापस करते हुए अनुरोध है कि उपरोक्त कमियों/त्रुटियों का निराकरण करते हुए संशोधित प्रस्ताव प्रमण्डलीय कार्यालय में समर्पित करें, ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

आपका विश्वासी

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल

E:\HZB EAST DIVISION\F.C. ACT\DEDICATED FRIGHT CORIDOR\LTR. TO DFCCI.doc7